पीएम कृषि सिंचाई योजना के विस्तार को मिली मंजूरी

यमुना पर बनने वाली परियोजनाओं से दिल्ली को भी होगा फायदा

कैबिनेट के फैसले

93 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजना से 22 लाख किसानों को होगा सीधा फायदा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। इसे बढ़ाकर वर्ष 2025-26 तक कर दिया गया है। 93 हजार करोड़ रुपये से अधिक की इस योजना से 22 लाख किसानों को सीधे फायदा होगा, जिसमें ढाई लाख अनुसूचित जाति और दो लाख अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को इसे मंजूरी दी। इसमें दो राष्ट्रीय परियोजनाएं रेणुका और लखवार भी शामिल हैं, जिससे दिल्ली समेत यमुना किनारे के बाकी राज्यों को पर्याप्त जलापूर्ति की सुविधा मिलेगी। साथ ही त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआइबीपी) के तहत लगभग 14 लाख हेक्टेयर रकबे में अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता विकसित होगी।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सिंचाई परियोजनाओं को लेकर निर्णय लिए गए। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी।

'हर खेत को पानी' के तहत लघु सिंचाई और जल स्त्रोतों के उद्धार के जरिये 4.5 लाख हेक्टेयर के रकबे में सिंचाई की क्षमता विकसित की जाएगी। लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर में भूजल से सिंचाई की सुविधा होगी।

मंत्रिमंडलीय समिति ने सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एआइबीपी, हर खेत को पानी और भूमि, जल व अन्य विकास घटकों को 2021-2026 के दौरान जारी रखने के लिए प्रस्तावित योजनाओं मंजूरी दी है। एआइबीपी का उद्देश्य सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय मदद प्रदान करना है। इसके तहत वर्ष 2021-26 के दौरान कुल अतिरिक्त सिंचाई क्षमता को 13.88 लाख हेक्टेयर तक करना है। चालू 60 परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान देने के साथ उससे संबंधित 30.23 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र का विकास भी शामिल है।

यमुना नदी पर बनाए जाने वाली रेणुका बांध परियोजना (हिमाचल प्रदेश) और लखवार बहुद्देश्यीय परियोजना (उत्तराखंड) में केंद्र की वित्तीय हिस्सेदारी 90 प्रतिशत तक होगी। ये दोनों परियोजनाएं यमुना बेसिन में जल भंडारण की शुरुआत करेंगी। इससे दिल्ली समेत यमुना बेसिन के ऊपरी हिस्से के पांच राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को लाभ होगा। हर खेत तक पानी पहुंचाने में भी इससे लाभ होगा, जिससे सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा।

कैबिनेट ने वाटरशेड विकास घटक परियोजना को भी मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य वर्षा जल को सिंचित क्षेत्रों तक पहुंचाना है। इसमें मिट्टी व जल संरक्षण, भूजल की भरपाई और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण को रोकना शामिल है। इसके तहत 2021-26 के दौरान संरक्षित सिंचाई से ढाई लाख हेक्टेयर भूमि विकसित की जाएगी।